

13. Digital Signature functions Standard.— The manner of digital signature creation and verification, in respect of signature profile and signature format, shall also conform to the following guidelines issued by Controller, namely:-

- (i) Interoperability Guidelines for Digital Signature Certificates issued under Information Technology Act;
- (ii) X.509 Certificate Policy for India PKI;
- (iii) Signature profiles;
- (iv) Online Certificate Status Protocol (OCSP) Service Guidelines for Certifying Authorities (CA);
- (v) Time Stamping Services Guidelines for Certifying Authorities (CA).

[F. No. 19/26/2015-CCA]

TAPAN RAY, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 661(अ).— केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 16 के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (सुरक्षा प्रक्रिया) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (सुरक्षा प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. सूचना प्रौद्योगिकी (सुरक्षा प्रक्रिया) नियम, 2004 में,—

(क) नियम 2 में, खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ड) इन नियमों में अनुप्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में और अंकीय हस्ताक्षर (अंतिम निकाय) नियम, 2015 में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियम और नियमों में है।";

(ख) नियम 4 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(च) अंकीय हस्ताक्षर (अंतिम निकाय) नियम, 2015 के नियम 7 या नियम 12 में निर्दिष्ट मानकों का, जहां तक उनका संबंध अंकीय हस्ताक्षर के सृजन, भंडारण और पारेषण से है, अनुपालन कर लिया गया है; और

[पत्र. सं. 10/26/2015 सीसीए]

तपन राय, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 87 read with Section 16 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Information Technology (Security Procedure) Rules, 2004.

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Security Procedure) Amendment Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Information Technology (Security Procedure) Rules, 2004,—

(a) in rule 2, for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—

"(e) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act and the Digital Signature (End entity) Rules, 2015 shall have the same meaning respectively assigned for them in the said Act and rules.";

(b) in rule 4, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) that the standards referred to in rule 7 or rule 12 of the Digital Signature (End entity) Rules, 2015 have been complied with, in so far as they relate to the creation, storage and transmission of the digital signature; and"

[F. No. 19/26/2015-CCA]

TAPAN RAY, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, and Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 735(E), dated the 29th October, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 662(अ)—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणीकरण प्राधिकारी) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणीकरण प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणीकरण प्राधिकारी) नियम, 2000 में,—

(क) नियम 6 में, सारणी में, "मानक" शीर्ष के अधीन "डीएसए और आरएसए" प्रविष्टियों के स्थान पर "डीएसए, आरएसए और कर्व एनआईएसटी पी-256, पी-384 या पी-521" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र मानक—प्रमाणीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र प्रतिसंहरण सूची सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन नियंत्रक द्वारा अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के लिए जारी अंतरकार्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगी।";

(ग) नियम 23 में,—

(i) खंड (ड) में "विवरण" शब्द के पश्चात् "नियंत्रक द्वारा जारी पहचान सत्यापन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(डक) नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के दौरान प्रारंभिक प्रमाणीकरण पद्धति विवरण अनुमोदन के पश्चात् अंशदाता पहचान सत्यापन पद्धति या अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुप्रयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में सभी परिवर्तन नियंत्रक द्वारा जारी पहचान सत्यापन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होंगे और परिवर्तनों को आवधिक रूप से प्रमाणीकरण पद्धति विवरण में शामिल किया जाएगा तथा उनका नियंत्रक द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ;";

(घ) नियम 24 में, खंड (च) के अंत में, "नियंत्रक द्वारा भारत के लिए जारी पीकेएल (सीपी) एक्स.509 प्रमाणीकरण नीति के अनुसार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) नियम 25 में, खंड (ii) में, "भी है, कि" शब्दों के पश्चात् "नियंत्रक द्वारा जारी पहचान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) नियम 31 में, उपनियम (1) में खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा ;

"(x) नियंत्रक द्वारा भारत के लिए जारी पीके1 सुसंगत एक्स.509 प्रमाणपत्र नीति का अनुपालन